

राजस्थान सरकार

खात उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीतारजीव अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०ए०

संख्या 25/2022 उपखण्ड

अदेसुलिया ९६ वाडगाव गटागत नि- ३०३-६६-३०३-६६०
प्रार्थी.....

बनाम

पत्थरगडी ९० गटागत उपखण्ड नि- ३०३-६६-३०३-६६०

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्वयित धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक ३/११/२२

प्रार्थी के अर्ज से एक प्रार्थना पत्र अन्वयित धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
पत्र संख्या 73/1 संख्या ०-2529 तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 299

सुन किला, संख्या ०-2529 हैक्टर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य
प्रार्थना के सीमा क्षेत्र की छेदे से आठे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने
सुन खाते की भूमि की पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थना पत्र अर्ज न्यायालय में दिनांक 3/11/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ
जाते हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे फास्त की होने से पत्थरगडी कराने का अधिकारी है।
प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी
द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर
प्रार्थी को फास्त होना है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेग्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम 299
पत्थर गटागत उपखण्ड तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 299 आराजी नम्बर
73/1 संख्या ०-2529

सुन किला, संख्या ०-2529 हैक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु
किये जाने हेतु रु- अभिलेख निरीक्षक के द्वारा रु-/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर
किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की
में नैके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावे।
ही होने पर पत्थरगडी नहीं की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा जिला भीलवाड़ा



या जावे।